अत्यावश्यक/
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(1)न्याय/2021 जयपुर, दिनांक 8.11.21

अफरोज तरन्नुम कनिष्ठ विधि अधिकारी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	श्री सज्जन लाल कडेला कनिष्ठ विधि अधिकारी नगर निगम अजमेर	राजू सिंह कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय उदयपुर

विषयः–राजकीय आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भः– इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 30.07.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.07.2021 द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया। आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को नहीं भिजवाई गई है, जबकि इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 में स्पष्ट निर्देश है कि स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं की जाती है तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

राजकीय आदेशों की पालना नहीं करना अवहेलना/अवज्ञा की श्रेणी में आता है, इसके लिए राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतः उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.07.2021 के संबंध में उनके द्वारा 7 दिवस में की गई पालना की रिपोर्ट इस कार्यालय को पेश करें तथा यदि उक्त आदेशों की पालना 7 दिवस में नहीं की गई हो तो इस बाबत अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा संबंधित कार्मिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही कर आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्मिक की स्वयं की होगी।

8.11.2021

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\LETTTER-2018.docx